



मुल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:— चम्पालाल जीनगर, RAS

मोहनलाल बलाई

उनवान
बनाम

भैरूलाल बलाई वगैराह

दावा बाबत:— बंटवारा आराजीयात।

मुकदमा नम्बर:— 5/2017 वाद

निर्णय दिनांक:— 12.02.2018

लोक अदालत कैम्प कोर्ट लसड़ावन में दिनांक 18.05.2017 को इस वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/बी/167 दिनांक 18.07.2017 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा लसड़ावन की खाता संख्या 413 की आराजीयात का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है—

1— मोहनलाल पिता नारायण बलाई, सा. देह के रहेगी, बैंक रहन बदस्तुर रहेगा—

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
1819 पश्चिम	0.1000	4.20
1822 उत्तर	0.0800	3.36
1825 दक्षिण	0.3100	13.02
2233 सम्पूर्ण	1.3900	16.68

कुल किता 4 कुल रकबा 1.8800 हेक्टेयर कुल लगान 37.26 रूपये

2— भैरूलाल पिता नारायण बलाई सा. देह के रहेगी, बैंक रहन बदस्तुर रहेगा—

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
324 पूर्व	1.0700	12.84
1819 पूर्व	0.1000	4.20
1822 दक्षिण	0.0900	3.78
1825 पूर्व उत्तर	0.2700	11.34
2547 पूर्व	0.3100	3.72

कुल किता 5 कुल रकबा 1.8400 हेक्टेयर कुल लगान 35.88 रूपये

3- जगदीश चन्द्र, कैलाश चन्द्र, कृष्णा पिता शंकरलाल, मु. कमला बाई पत्नी स्व शंकरलाल बलाई, सा. देह के रहेगी, बैंक रहन बदस्तुर रहेगा-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
324 पश्चिम	1.0700	12.84
1819 मध्य	0.1100	4.62
1822 मध्य	0.0800	3.36
1825 मध्य	0.2700	11.34
2547 पश्चिम	0.3100	3.72

कुल किता 5 कुल रकबा 1.8400 हैक्टेयर कुल लगान 35.88 रूपये

4- भैरूलाल पिता नारायण 1/2, जगदीशचन्द्र, कैलाशचन्द्र, कृष्णा पिता शंकरलाल, मु. कमला बाई पत्नी स्व. शंकरलाल 1/2 बलाई, सा. देह खातेदार के रहेगा, बैंक रहन बदस्तुर रहेगा-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
325	0.0200	गे.मु. चाह
2545	0.0100	ट्यूबवैल
2546	0.0200	गे.मु. चाह
2547 मध्य	0.0300	गे.मु. रास्ता हेतु

कुल किता 4 कुल रकबा 0.0800 हैक्टेयर

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 12.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(चम्पालाल जीनगर)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा